भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2226

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

समग्र शिक्षा योजना और पीएम-श्री योजना के अंतर्गत केरल को देय लंबित धनराशि

†2226. **श्री हैबी ईडन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल को समग्र शिक्षा योजना के लिए देय निधियां सरकार के पास लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या केरल राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना को अपनाया है;
(ग) क्या केरल को पीएम-श्री योजना से संबंधित निधियां भी जारी नहीं की गई हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जो प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में परिकल्पित करती है और यह वर्ष 2018-19 से शुरू हुई है। समग्र शिक्षा योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा केरल राज्य के लिए 697.31 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई थी। बाद में, वर्ष 2024-25 के लिए परिव्यय में प्रतिपूर्ति और स्पिल-ओवर राशि को शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय अनुमोदन हेतु राशि बढ़कर 855.90 रुपये हो गई।

समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में शामिल प्रावधानों के अनुरुप बनाया गया है और पीएम-श्री स्कूलों की संकल्पना की गई है तथा उन्हें एनईपी 2020 के उदाहरणपरक स्कूलों के रूप में कार्य करने हेतु डिजाइन किया गया है। पीएम-श्री योजना सितंबर 2022 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 14,500 से अधिक चयनित स्कूलों को उदाहरणपरक स्कूलों के रूप में विकसित करना था, जो आस-पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं, एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है और अब तक 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और योजना मंच पर शामिल हो गए हैं।

तथापि, केरल राज्य ने अभी तक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ पीएम-श्री योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए, केरल को कोई निधियां जारी नहीं की जा सकी है।

*****